BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 04 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बाइक चोरी करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त समीर पुत्र यामीन निवासी मौ0 किदनई नगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2021 में थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत एक बाइक चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 24.04.2021 को थाना गुलावठी पर मुअसं- 296/2021 धारा- 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.08.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायाधीश श्री सुनील त्रिपाठी (मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त समीर को 03 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नागेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर